नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2005

का. नि. आ. 88.—राष्ट्रपित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयुध और आयुध उपस्कर निर्माणी समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा की दशाएं) नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी संगठन के आयुध और आयुध उपस्कर फैक्टरी और अन्य कार्यालयों एवं स्थापनों में कितपय समूह 'ख' तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' अर्द्वचिकित्सीय (अनौद्योगिक/अराजपित्रत) पदों पर भर्ती की पद्वित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध तथा आयुध उपस्कर फैक्टरी समूह 'ख' तथा समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक (अर्द्धचिकित्सीय) पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) भर्ती नियम, 2004 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना: - ये नियम इससे उपाबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि::—डक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता: वह व्यक्ति, —
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. मैट्रन	45* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		6500-200- 10,000 रुपये	चयन	नहीं

[भाग II—खण्ड 4]	भारत का राजपत्र	: अगस्त 20, 200	5/श्रावण 29, 1927	21
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले लिए अपेक्षित शैक्षिक और		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8		9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		नहीं	लागू नहीं होता
	धे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति- विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने		क्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में मेलन किया जाएगा	i वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ना
11			12	
केवल प्रोन्नति द्वारा		5500-9000 रु.	के वेतनमान में ऐसी ज्येष्ठ नर्स श्रेण	ît−I,
		5500−9000 ₹.	के वेतनमान में ऐसी लोक स्वास्थ्य	नर्स और
			के वेतनमान में ऐसी स्टाफ नर्स की : जसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित	
यदि विभागीय प्रोन्नति समि	ते हैं तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थि से परामर्श किया जाएगा	तेयों में संघ लोक सेवा आय
13	3		14	41
(क) निदेशक,	नित समिति का गठन :—	—अध्य	नियमों के किसी उपबंध के क्षे के लिए आयोग से परामर्श	
(ख) उप निदेशक, स्वास्थ्य	। सेवाएं	सदस्	य	
(ग) उप सचिव/अवर सि	वव रक्षा मंत्रालय	—स द स्	4	**
उनसे ज्येष्ठ व्यवि अर्हक/पात्रता सेव	त्तयों के संबंध में भी विचार किया ा के आधे से अधिक से या दो वर्ष	जाएगा परन्तु यह त से, इनमें से जो भी व	निया पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए ब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी जम हो, कम न हो और उन्होंने अपने श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिर्व	अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षि ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहि
1 2	3	- 4	5	6
 ज्येष्ठ नर्स 90* 	रक्षा सेवाओं में 4) सिविलियन,	5500-175- 9,000 रुपये	चयन	नहीं
आधार	भार के अनौद्योगिक, र पर परिवर्तन समूह 'ख' जा सकता है। अराजपत्रित			
*कार्य आधार	र पर परिवर्तन समूह 'ख'		9	10

-11			12		
ोन्निति द्वारा	Section	5000-8000 रु. के वेतनमान में ज्येष्ठ नर्स श्रेणी-II, में से प्रोन्नित द्वारा जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।			
	3				
13				14	
तमूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति	ते का गठनः—			। उपबंधों को संशोधित और शिथिल क । से परामर्श करना आवश्यक है।	
क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/अपर निदेशक, स्	व्यास्थ्य सेवाएं	—अध्यक्ष	क ।लए आयाग	सि परामश करना आयरपक है।	
ख) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	CHIC - I CI-IIC	सदस्य			
	<u> </u>	—सदस्य			
 ग) उप सचिव/अवर सचिव, रक्षा मं टेप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 			0 0 % ->		
पूरी कर ली हो।				अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापू	
S 7/2					
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	(3) रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	(4) 5500-175- 9,000 रुपये	(5)	नहीं	
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख'	5500-175-			
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौधोगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-	चयन	नहीं	
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175-	चयन 9	नहीं 10	
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 7 लागू नहीं होता लागू	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175- 9,000 रुपये	चयन 9 नहीं 12 तनमान में ऐसी ज्येक	नहीं 10	
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 7 लागू नहीं होता लागू 11	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित	5500-175- 9,000 रुपये 5000-8000 के वे	चयन 9 नहीं 12 तनमान में ऐसी ज्येक	नहीं लागू नहीं होता नर्स- II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस र	
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 7 लागू नहीं होता लागू 11 प्रोन्मित द्वारा	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौधोगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित 8 नहीं होता	5500-175- 9,000 रुपये 5000-8000 के वे	चयन 9 नहीं 12 तनमान में ऐसी ज्येष्ठ सेवाएं की हैं।	नहीं लागू नहीं होता नर्स-II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस र	
3. स्टाफ १* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर प्रिवर्तन किया जा सकता है। 7 लागू नहीं होता लागू 11 प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समि (क) निदेशक,	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौधोगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित 8 नहीं होता	5500-175- 9,000 रुपये 5000-8000 के वे	चयन 9 नहीं 12 तनमान में ऐसी ज्येष्ठ न सेवाएं की हैं।	नहीं लागू नहीं होता नर्स- II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस र	
3. स्टाफ 9* (2004) नर्स *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 7 लागू नहीं होता लागू 11 प्रोन्नित द्वारा	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौधोगिक, समूह 'ख' अराजपत्रित 8 नहीं होता	5500-175- 9,000 रुपये 5000-8000 के वे में 3 वर्ष नियमित	चयन 9 नहीं 12 तनमान में ऐसी ज्येष्ठ न सेवाएं की हैं।	नहीं 10 लागू नहीं होता नर्स-II में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस व	

टिप्पण: जहां ऐसे किनन्छ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनन्छ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(8)

- (iv) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।
- वांछनीय :
- (i) लोक स्वास्थ्य नर्सिंग में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
- (ii) हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान।

ऐसे भूतपूर्व सेना चिकित्सा कोर के अफसरों को अधिमान दिया जाएगा, यदि अर्हतानुसार उपयुक्त हैं।

(11)	(12)	(13)	(14)	
सीधे भर्ती द्वारा र	तीधे भर्ती द्वारा ल	ागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मिडवाइफ 73*(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसच्चिवीय	3200-85- 4,900 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं
	9			
(7)	(8)		(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष	आवश्यक : (i) 10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञ	न विषयों से उत्तीर्ण	नहीं	. दो वर्ष
तक शिथिल की जा सकती है)	हो। (ii) मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष व मिडवाइफ कोर्स और संबंधिक में पंजीकृत हो।			
	(iii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय:	हो।		
	हिंदी तथा स्थानीय भाषा का ज्ञान।			

(11)		(12)	(13)	(14)		
सीधे भर्ती द्व	ारा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7. रेडियोग्राफर	34*(2004)	रक्षा सेवाओं में	4,500-125-	योग्यता के आधार	नहीं	
	*कार्यभार के आधार	सिविलियन,	7,000 रुपये	पर चयन		
	पर परिवर्तन किया	अनौद्योगिक,				
	जा सकता है।	समूह 'ग'				
		अननुसचिवीय				

[भाग][—खण्ड	4]	भारत का राजपत्र : अ	गस्त 20, 2005/श्रावण 2	29, 1927	
(7)		(8)		(9)	(10)
7 वर्ष से अधिक	नहीं	गैरभूतपूर्व सैनिक	के लिए:	नहीं	दो वर्ष
(सरकारी कर्मचारियों की दशा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)		10+2 या समतुल्य परीक्षा विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में तीन वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट हो।			
		अधीन रेडियोग्राफी	ा किसी अहिंत चिकित्सा में कम से कम 6 महीने ग कंप्यटर का कार्यसाध्य	का अनुभव	
		प्राप्त किया हो तथा कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो। या भूतपूर्व सैनिक के लिए: जिन्होंने अद्यतन संशोधित ए.आई. 39/एस/47 के अन्तर्गत यथा परिभाषित वर्ग-I वर्ग-II समूह (क) के अधीन रेडियोग्राफर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के			
		गरवास् राजगंत्रा	कर के रूप में कार्य किय	. (11	
(11)		(12)	(13))	(14)
सीधे भर्ती ।	इ रा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं	होता	लागू नहीं होता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. फार्मासिस्ट	276* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	4,500-125- 7,000 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं
(7)		(8))	(9)	(10)
32 वर्ष		परीक्षा विज्ञान विष (ii) अभ्यर्थी के	पास फार्मेसी काउंसिल अ संस्था से 2 वर्ष का डिप	नाफ इंडिया लोमा कोर्स	दो वर्ष
		3 महीने की ट्रेनिंग	के साथ उत्तीर्ण करने पर कृत प्रमाण पत्र रखता है		

(11)	(12)	(13)	(14)
सीधे भर्ती द्वारा	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
. प्रयोगशाला तकनीशियन	43 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समृह 'ग', अननुसचिवीय	4,500-125- 7,000 रुपये	योग्यता के अ पर चयन	आधार	नहीं
(7)		(8) [†]		(9)	(10)
7 वर्ष से अधिक हर्मचारियों की दश शिथिल की जा सक	ा में 40 वर्ष तक		ताप्राप्त संस्था से जीव रस /जीव विज्ञान बी.एससी. ३ ोक्षा उत्तीर्ण।		नहीं	दो वर्ष
		तकनीक) (डी.ए (iii)आयुर्विज्ञान अनुभव हो।	संस्था से (आयुर्विज्ञान प्र म.एल.टी.) में डिप्लोमा प्रयोगशाला में कम से कम का कार्यसाधक ज्ञान हो।	प्राप्त हो।		
(11)		(12)	(13))		(14)
अधिशेष के समाये		ायकों में से समूह	''ग'' विभागीय समिति		अधिकारी	लागू नहीं होता
अधिशेष के समाये और आमेलन के प्र ब्रोन्नति द्वारा, जिसवे सकने पर सीधी भर	परपार् प्रोत्ति द्वारा जिन्हे ह न हो में आयुध निर्मार्ण र्गी द्वारा 5 वर्ष नियमित से	ायकों में से समूह होंने इस थ्रेमी (क) ो संगठन में वा की है। (ख)	प्रमुख चिकित्सा अधिका —अस्पताल प्रभारी अपर महाप्रबंधक/संयुक) प्रमुख चिकित्सा अधिका	री/गुख्य चिकित्सा त महाप्रबंधक (प्र री/ज्येष्ठ चिकित्सा	शासन)	
अधिशेष के समाये और आमेलन के प्र प्रोन्नति द्वारा, जिसवे सकने पर सीधी भर	परपार् प्रोत्ति द्वारा जिन्हे ह न हो में आयुध निर्मार्ण र्ती द्वारा 5 वर्ष नियमित से (2)	ायकों में से समूह तेंने इस श्रेमी (क) ो संगठन में वा की है। (ख) (ग)	प्रमुख चिवितसा अधिका —अस्पताल प्रभारी अपर महाप्रबंधक/संयुक) प्रमुख चिकित्सा अधिका (4)	री/गुष्म चिकित्सा त महाप्रबंधक (प्र री/ज्येष्ठ चिकित्सा (5)	शासन) अधिकारी	(6)
अधिशेष के समाये और आमेलन के प्रोन्नित द्वारा, जिसके सकने पर सीधी भर (1)	परपार् प्रोत्ति द्वारा जिन्हे ह न हो में आयुध निर्मार्ण र्गी द्वारा 5 वर्ष नियमित से	ायकों में से समूह होंने इस थ्रेमी (क) ो संगठन में वा की है। (ख)	प्रमुख चिकित्सा अधिका —अस्पताल प्रभारी अपर महाप्रबंधक/संयुक) प्रमुख चिकित्सा अधिका	री/गुख्य चिकित्सा त महाप्रबंधक (प्र री/ज्येष्ठ चिकित्सा	शासन) अधिकारी	
अधिशेष के समाये और आमेलन के प्रोन्नित द्वारा, जिसवे सकने पर सीधी भर (1)	परपात् प्रोत्ति द्वारा जिन्हे ह न हो में आयुध निर्माणी र्जी द्वारा 5 वर्ष नियमित से (2) 1*(2004) पर परिवर्तन किया	ायकों में से समूह होंने इस श्रेमी (क) ो संगठन में वा की है। (ख) (ग) रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	प्रमुख चिकित्सा अधिका — अस्पताल प्रभारी अपर महाप्रबंधक/संयुक) प्रमुख चिकित्सा अधिका (4) 4,500-125-	री/गुष्म चिकित्सा त महाप्रबंधक (प्र री/ज्येष्ठ चिकित्सा (5)	शासन) अधिकारी	(6)
अधिशेष के समाये और आमेलन के प्रोन्नित द्वारा, जिसके सकने पर सीधी भर (1) 10. आपरेशन कक्ष तकनीशिय	(2) 1*(2004) 1* पर परिवर्तन किया पर परिवर्तन किया जा सकता है।	ायकों में से समूह होंने इस श्रेमी (क) ो संगठन में वा की है। (ख) (ग) रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	प्रमुख चिकित्सा अधिका —अस्पताल प्रभारी अपर महाप्रबंधक/संयुक) प्रमुख चिकित्सा अधिका (4) 4,500-125- 7,000 रुपये	री/गुष्म चिकित्सा त महाप्रबंधक (प्र री/ज्येष्ठ चिकित्सा (5)	शासन) अधिकारी -वरिष्ठता	(6) नहीं
अधिशेष के समाये और आमेलन के प्रोन्नित द्वारा, जिसके सकने पर सीधी भर (1) 10. आपरेशन कक्ष तकनीशिय	(2) 1*(2004) 1* पर परिवर्तन किया पर परिवर्तन किया जा सकता है।	ायकों में से समूह होंने इस श्रेणी (क) ो संगठन में वा की है। (ख) (ग) रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समूह 'ग' अननुसचिवीय	प्रमुख चिकित्सा अधिका —अस्पताल प्रभारी अपर महाप्रबंधक/संयुक) प्रमुख चिकित्सा अधिका (4) 4,500-125- 7,000 रुपये	री/गुष्म चिकित्सा त महाप्रबंधक (प्र री/ज्येष्ठ चिकित्सा (5) चयन-सह-	शासन) अधिकारी -वरिष्ठता (9)	(6) नहीं (10)

(11)		(12)	(13)		(14)
सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे एंबुलेंस ड्र श्रेणी) में से प्रोन उस श्रेणी में संगठन में 8 वर्ष की है। व्यवसाय परीक्षण के बाद आमेलन	नित द्वारा जिन्होने (क) आयुध निर्माणी नियमित सेवा (ख) ग उत्तीर्ण करने (ग)	''ग'' विभागीय प्रोन्नति स् अपर महाप्रबंधक/संयुक्त ग उप महाप्रबंधक (इंज़ीनियां प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/ अधिकारी—अस्पताल प्रभ उप महाप्रबंधक/कार्यप्रबंध	हाप्रबंधक/ रॅग) मुख्य चिकित्सा ारी	लागू नहीं होता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. एंबुलेंस ड्रइवर (सामान्य श्रेणी)	120 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समृह 'ग'	3050-75-3950- 80-4,590 रुपये	योग्यता के आधार पर चयन	नहीं
		अननुसचिवीय			
(7) 27 वर्ष (सरकारी कर	f O.N. C	(8) आवश्यक :)	(9) नहीं	(10) दो वर्ष
	7	(iv) प्राथमिक उ वां <mark>छनीयः</mark>	सस हाना चाहिए। और छोटे मोटे मरम्मतों क पचार का प्रारंभिक ज्ञान । को चलाने का 3 वर्ष का अ		
(11)		(12)	(13)		(14)
सीधी भर्ती द्वारा		सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं हो	ता	लागू नहीं होता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. चिकित्सा सहायक	(2) 369 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समृह 'घ' अननुसचिवीय	(4) 261060-3150- 65-3540 रुपये	(5) चयन एवं वरिष्ठता	(6) नहीं
17. चिकित्सा सहायक	369 *(2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन, अनौद्योगिक, समृह 'घ'	261060-3150- 65-3540 रुपये		

(8) भृतपूर्व सैनिक: चिकित्सा कोर अईक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सशस्त्र बल में नर्सिंग सहायक के रूप में कार्य किया हो। वांछनीय: कम्प्यूटर का प्रारंभिक कार्यसाधक ज्ञान। (14)(13)(12)(11)समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-लागू नहीं होता ऐसे वार्ड सहायकों में से अधिशेष के समायोजन (क) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा समावेशन के पश्चात् प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी —अस्पताल प्रभारी में आयुध निर्माणी संगठन में प्रोन्नित द्वारा, जिसके न 2 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/कार्य प्रबंधक हो सकने पर सीधी भर्ती ऐसे व्यक्तियों में से आमेलन (प्रशासन) द्वारा। द्वारा जिनके पास स्तंभ 8 में दी (ग) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक चिकित्सा अधिकारी गई अर्हता है। (5) (6) (4) (3)(1)(2) योग्यता के आधार नहीं 155 *(2004) रक्षा सेवाओं में 2550-55-2660-18. वार्ड पर चयन 60-3200 रुपये *कार्यभार के आधार सिविलियन, सहायक पर परिवर्तन किया अनौद्योगिक, समह 'घ' जा सकता है। अननुसांचवीय (9) (10)(8) नहीं दो वर्ष (i) कक्षा 10 या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों की दशा (ii) प्राथमिक उपचार, नर्सिंग तथा वार्ड प्रकिया का में 40 वर्ष तक शिथल जा सकती है) जान। (14)(13)(12)(11)लागू नहीं होता लागू नहीं होता सीधी भर्ती द्वारा सीधी भर्ती द्वारा

एस. आर. ओ. पर टिप्पण

- टिप्पण 1:— ऊपर अनुसूची के स्तम्भ 2 में उपदर्शित पदों की संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- टिप्पण 2:— जहां अन्यथा उपदर्शित है उसके सिवाय स्तम्भ 7 के अधीन उपदर्शित आयु सीमा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।
- टिप्पण 3:— इस अनुसूची के स्तम्भ 11 में जहां जहां ''अधिशेष का समायोजन'' शब्द आते हैं वहां ऐसे व्यक्तियों की प्रबंधन द्वारा लोकहित में नियुक्ति अभिप्रेत है, जो किसी फैक्टरी या कार्यालय में अथवा आयुध निर्माणी संगठन में पहले से ही वही या समान या लगभग समतुल्य वेतनमान में पदों पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें प्रबंधन द्वारा व्यक्तियों या उनके द्वारा धारित पदों के अधिशेष पाए जाने के परिणामस्वरूप सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समायोजित करना आवश्यक है।
- टिप्पण 4:— इस अनुसूची के स्तम्भ 11 या स्तम्भ 12 में जहां-जहां ''आमेलन'' शब्द आते हैं वहां प्रबंधन द्वारा लोकहित में ऐसे व्यक्तियों का (जो उसी या उसके समरूप या लगभग वेतनमान में पहले से ही कार्य कर रहे हैं) आयुध निर्माणी संगठन में उसी फैक्टरी या कार्यालय में आमेलन और जहां सम्बद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर प्रबंधन ने सहमित दे दी हो वहां उसी फैक्टरी या कार्यालय के भीतर आमेलन भी अभिप्रेत होगा। लोकहित में आमेलन के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के आमेलन द्वारा पद भरा जाना भी शामिल है जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं जिनसे किसी अन्य पद या श्रेणी में प्रोन्नित नहीं है चाहे ऐसे पद संमतुल्य पद घोषित किए गए हैं या नहीं और आमेलन द्वारा ऐसी नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने से पहले की जा सकती हैं।

- टिप्पण 5:— 'प्रतिनियुक्ति' शब्द से समय-समय पर प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति अभिप्रेत है और सेवा में अत्यावश्यकता के होते हुए भी आयुध निर्माणी बोर्ड या फैक्टरी के महाप्रबंधक लोकहित में पूर्वोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद में प्रतिनियुक्ति पर आयुध निर्माणी संगठन के बाहर से उपयुक्त व्यक्तियों को ले सकता है।
- टिप्पण 6:— इस अनुसूची के स्तम्भ 12 या इन नियमों में किसी अन्यत्र जहां-जहां ''व्यवसाय परीक्षण'' अधिकथित है, वहां ऐसा ''व्यवसाय परीक्षण'' फैक्टरी के महाप्रबंधक या आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विहित किया जाएगा।''व्यवसाय परीक्षण'' पद के अन्तर्गत लिखित, मौखिक और व्यवहारिक परीक्षा तथा अभिरुचि परीक्षण और साक्षात्कार तथा कोई अन्य अर्हता परीक्षा भी है जिसके अंतर्गत शारीरिक स्तर परीक्षण तथा कानूनी अर्हता परीक्षण भी है।
- टिप्पण 7:— स्तम्भ 11 में जहां जहां ''सुसंगत विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल'' शब्द आते हैं और भर्ती चयन द्वारा की जाती है वहां इन शब्दों में गोपनीय रिपोर्ट के प्रति निर्देशों से केवल योग्यता के आधार पर तैयार पैनल और जहां कहीं कारखाने के महाप्रबंधक या आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा चयन के हित में ऐसा व्यवसाय परीक्षण वांछनीय समझा जाता है व्यवसाय परीक्षण के परिणामों के प्रतिनिर्देश से पैनल तैयार किया गया अभिप्रेत है।
- टिप्पण 8:— इस अनुसूची के स्तम्भ 12 में उपदर्शित प्रोन्नित सामान्यतया स्तम्भ 12 में उपदर्शित पोषक श्रेणी से होगी। किन्तु जहां दो या अधिक पोषक श्रेणियों को कारखाने के महाप्रबंधक या आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा ''सहबद्ध श्रेणियां'' घोषित किया जाता है वहां प्रोन्नित के लिए चयन सहबद्ध श्रेणियों में पात्र व्यक्तियों की सामान्य विष्ठिता सूची से किया जाएगा।
- टिप्पण 9:— इन नियमों में ''समतुल्य पद'' शब्द और इन नियमों में उसके रूपभेद से अभिप्रेत होगा कि उसी या समरूप वेतनमान में कोई पद उसी या किसी अन्य नाम या पदनाम से और जिस पद को आयुध निर्माणी बोर्ड या फैक्टरी के महाप्रबंधक, समतुल्य पद के रूप में घोषित करें, और उन्हें अन्तरपरिवर्तनीय या स्ट्रोक (/) नियुक्तियां समझा जाएगा।
- टिप्पण 10:—इस अनुसूची के स्तम्भ 8 के अधीन विहित अर्हताओं के संबंध में इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या कोई अर्हता किसी पद के लिए विहित अर्हता के समतुल्य है आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- टिप्पण 11:—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, आयुध निर्माणी बोर्ड उसके ओर से किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड के किसी सदस्य या अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणियां को प्राधिकृत कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग उक्त बोर्ड द्वारा किया गया समझा जाएगा।
- टिप्पण 12:—इन नियमों में ''फैक्टरी का महाप्रबंधक'' पद और उसके रूपभेदों के अंतर्गत ज्येष्ठ महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक और निदेशक, स्टाफ कालेज तथा अन्य स्थापनों के अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा फैक्टरी के महाप्रबंधक के समतुल्य घोषित किया गया है।
- टिप्पण 13:—इन अनुसूची के स्तम्भ 7 में जहां-जहां आयुसीमा अधिकथित है, वहां आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप उनसे भिन्न) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। ऐसे पदों की बाबत जिस पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- टिप्पण 14:—इन अनुसूची के स्तम्भ 12 में जहां-जहां न्यूनतम सेवा की कोई शर्त अधिकथित है और किसी किनष्ठ कर्मचारी के बारे में उसके द्वारा उक्त न्यूनतम सेवा शर्त पूरी करने के आधार पर चयन के लिए विचार किया जाता है, वहां ऐसे सभी व्यक्ति जो उससे ज्येष्ठ हैं और जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है इस बात के होते हुए भी कि वे उक्त न्यूनतम सेवा शर्त पूरी न करते हों, चयन के लिए विचार किए जाने के पात्र हों।
- टिप्पण 15:—एक ही वेतनमान में कुल पदों की संख्या में आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा समय-समय पर कार्यभार में परिवर्तन और कृत्यिक अपेक्षाओं के आधार पर विभिन्न पदाभिधानों और नामों या किसी वेतनमान के अधीन पदों में वृद्धि और कमी की जा सकती है।
- टिप्पण 16:—इस अनुसूची के पदों के पदधारी, कार्यात्मक आवश्यकता पर आधारित स्थानान्तरण होने पर एवं समय-समय पर आ.नि. बोर्ड द्वारा बनाई गई स्थानान्तरण नीति—दिशानिर्देशों के अनुसार आयुध निर्माणी संगठन की किसी भी निर्माणी या कार्यालय में सेवा करने के दायित्वाधीन हैं।

[फा. सं. 7(3)/2001/आई/डी/एफ वाई-1] राजेन्द्र सूद, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—आयुध तथा आयुध उपस्कर निर्माणी समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा शर्त) नियम, 1989 का.नि.आ. 14(अ) तारीख 4-5-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.नि.आ. 149 तारीख 26-7-1991, का.नि.आ. 70 तारीख 04-05-1994, का.नि.आ. 155 तारीख 06-09-1994, का.नि.आ. 109 तारीख 26-06-1999 और का.नि.आ. 185 तारीख 12-10-1999 द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, the 3rd August, 2005

- S.R.O. 88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group C and Group D Non-industrial Posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group B, Group C and Group D Para-Medical (Non-industrial/Non-Gazetted) posts in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance Factory Organisation under the Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group B, Group C and Group D Non-industrial (Para-Medical) posts (Recruitment and Condititons of Service) Rules, 2004.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matter connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that the marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Rules.

- 5. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Matron	45* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non- Industrial Group 'B' Non-Gazetted,	Rs. 6,500-200- 10,500	Selection	No

Age limit for d	irect recruits	Educational and required for dire	other qualification	and edu qualific prescrib direct re	cational ation ed for cruits will the case	Period of probation, if any
7		8		9		10
Not applicable		Not applicable		No		Not applicable
by direct or by absorption and			itment by promo n/deputation to b	tion/deputation o e made	т absorption, g	rades from
11			12			
By promo	tion only.	9000, Public He	alth Nurse in the p	ay scale of Rs. 55	500-9000 and S	scale of Rs. 5500- taff Nurse in the grade in the ratio
If a Departmen composition	tal Promotion Con	mmittee exists, wha	t is its		es in which UP making recruit	
(a) Director He (b) Deputy Dir	f Group 'B' Depar				on with the	Commission is xing any provision
would a of such period	also be considered qualifying/eligibil	pleted their qualifyin provided they are no lity service or two ye he next higher grade	et short of the requars, whichever is	nisite qualifying/e ess, and have suc	ligibility servicessfully compl	e by more than hal eted their probation
1	2	3	4	5	6	
-	90* (2004)	Civilians in Defence Services,	Rs. 5,500- 175-9,000	Selection	No	
2. Senior Nurse Grade-I	*Subject to variation dependent on work load.	Non-Industrial, Group 'B', Non-Gazetted				
2. Senior Nurse	variation dependent on	Non-Industrial, Group 'B',				
2. Senior Nurse	variation dependent on	Non-Industrial, Group 'B', Non-Gazetted	8		9	10

* 11			12		1 0	00.0000 44
romotion	B tl	y Promotion from : So tree years regular ser	enior Nurse C vice in the gr	rade-II in the Pa ade.	y scale of Rs. 50	00-8000 with
					14	
	13	110		Consultation	with the Con	mission is
committee: (a) Director Hea Health Service (b) Deputy Director	ctor Health Service	ional Director —Ch				ing any provision
(c) Deputy Secr	etary/Under Secre	tary, M of DMe	mber			
would also	be considered prov lifying/eligibility so promotion to the ne	I their qualifying/elig ided they are not shor ervice or two years, w xt higher grade along	t of the requi: hichever is le	site quantying/e. ss. and have succ	essfully comple	ted their probatio
	2	3	4	5		6
Public Health Nurse	17 (2004) (Subject to variation dependent on workload)	Civilians in 1	Rs. 5,500- 175-9,000	Selection.		No
		8	W.,		9	10
7					No	Not applicabl
Not applicabl	le	Not applicable			10	- No. of the second
11	* aut		12			
Promotion		By Promotion from Swith three years regu	Senior Nurse lar service in	Grade-II in the P the grade.	ay scale of Rs. 5	000-8000
			i iljuks			(X+)
E 2 1	13				14_	
Committee: (a) Director He Health Serv. (b) Deputy Director	ector Health Service	itional Director —C	hairman lember lember	Consultati necessary fo of the Rules	r amending/rela	Commission i xing any provision
Note: Where jur would also	niors have completed be considered pro alifying/eligibility promotion to the n	ed their qualifying/eli vided they are not sho service or two years, v ext higher grade alon	gibility servi	ess and have suc	ccessfully complealready comple	eted their probati ted such qualifyin
. 1	. 2	3		4	5	6
5. Senior Nurse	191 *(2004) *Subject to	Civilians in Defence	Rs.	5,000-150- 8,000	Selection. by merit	No
Grade-II	variation dependent on	Services, Non-Industrial Group 'C',		,		

7		8		9	10		
Not exceeding 27	years	Essential:		No	Two years		
Relaxable upto 40 n case of Govt. se) years	(i) Passed 10+2 or equiva with Science subjects.					
		(ii) Candidates should post Registered Nurse and passed General Nursi course from a school of Institution recognise	sess Certificate as I Midwife having ng and Midwifery of Nursing or other				
		Nursing Council.					
		(iii) Minimum 2 years recognised hospital ou Operation Theatre.					
		(iv) Must have working computers.	g knowledge of				
		Desirable:					
		(i) Possessing a recognic Public Health Nursing					
		(ii) Knowlege of Hindi at Preference may be g Medical Corps off qualified.	iven to Ex-Army				
		*					
11			12				
By direct rec	ruitment		By direct re	cruitment			
	13			14			
NT-4				Not applicable	4		
Not ap	plicable			тоспррисаме			
1	2	3	4	5	6		
6. Midwife	73 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 3,200-85- 4,900	Selection by merit	., No		
7		8		9	10		
Not exceeding 27	TIANTE	Essential:		No	Two years		
(Relaxable upto 4		(i) Passed 10+2 or equiv	alent examination				
in case of Govt. s	•	with Science subjects					
		(ii) Two years Auxiliary Course from a reco and registered with a Council.	gnised Institution				
		(iii) Must have workin computers.	g knowledge of				
		Desirable:					
		Knowledge of Hindi and le	and language				

			12		
By direct recr	uitment		By direct re	cruitment	
-	13			14	
Not app				Not applicable	
1	2	. 3	4	. 5	6
7. Radiographer	34*(2004) *Subject to variation	Civilians in Defence Services, Non-Industrial,	Rs. 4,500-125- 7,000	Selection. by merit	No
	dependent on work load.	Group 'C', Non-Ministerial			
				,	
7				9	10
Not exceeding 27		For Non-Ex-Service Person		No	Two years
Relaxable upto 40 n case of Govt. se		Passed 10+2 or equivalent of Science subjects and Three Certificate in Radiography Institution.	e Years Diploma/		
		Desirable : At least 6 mor Radiography in a hospi qualified Radiologist and w	tal or under any		
		of Computers.	vorming fallo wreage		
		For Ex-service personnel	who has worked as		
		Radiographer after qualifyi	na as Dadio graphos		
6					
6		under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amend	Class-II as defined		
n		under Group (A) Class-I and	Class-II as defined ded upto date.		
11		under Group (A) Class-I and	Class-II as defined ded upto date.		-68
By direct recr		under Group (A) Class-I and	Class-II as defined ded upto date.	cruitment	- AV
By direct recr	13	under Group (A) Class-I and	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re	cruitment 14	- 13
By direct recr	13	under Group (A) Class-I and	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re	cruitment	48
By direct recr	13	under Group (A) Class-I and	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re	cruitment 14	6
By direct recr Not app	13 plicable	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amend	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re 4 Rs. 4,500-125-	14 Not applicable 5 Selection.	
By direct recr Not app	2 276 *(2004) *Subject to	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amend 3 Civilians in Defence Services,	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re	cruitment 14 Not applicable	6
By direct recr Not app	olicable 2 276 *(2004) *Subject to variation	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amend 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial,	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re 4 Rs. 4,500-125-	14 Not applicable 5 Selection.	6
By direct recr Not app	2 276 *(2004) *Subject to	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amend 3 Civilians in Defence Services,	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re 4 Rs. 4,500-125-	14 Not applicable 5 Selection.	6
Not app 1 8. Pharmacist	olicable 2 276 *(2004) *Subject to variation dependent on	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amended as a memory of the control of the contro	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re 4 Rs. 4,500-125-	Not applicable 5 Selection. by merit	6 No
By direct reco	2 276 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amended as a memory of the second and under AI 39/S/47 as amended as a memory of the second as a mem	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re 4 Rs. 4,500-125-	14 Not applicable 5 Selection. by merit	6 No
By direct recr Not app 1 8. Pharmacist	2 276 *(2004) *Subject to variation dependent on work load.	under Group (A) Class-I and under AI 39/S/47 as amended as a memory of the control of the contro	Class-II as defined ded upto date. 12 By direct re 4 Rs. 4,500-125-7,000	Not applicable 5 Selection. by merit	6 No

8

(ii) Candidate should possess Certificate as Registered Pharmacist having passed two years diploma course with three months training in Parmacy from an Institution recognised by the Pharmacy Council of India.

Desirable: Should have working knowledge of Computers.

11			13)		
By direct recru	uitment	By direct recruitment				
Dy unoctrosit	HIHICH	* * * *	By directive			
1		THE RESERVE OF THE PERSON OF T		14		
Not applicable		Not applicable				
1	2	3	4	- 5	6	
9. Laboratory	43 *(2004)	Civilians in	Rs. 45,00-125-	Selection.	No	
Technician	*Subject to	Defence Services,	7,000	by merit		
	variation	Non-Industrial,				
	dependent on	Group 'C',				
	work load.	Non-Ministerial				
7		8		9	10	
Not exceeding 27 y	ears	Essential:		No	Two years	
Relaxable upto 40 in case of Govt. ser		 (i) Passed B.Sc. with Bio biology/Life Science of a recognised Institution (ii) Candidate should portion Medical Laboratory Trecognised Institution (iii) Must possess at least of in Medical Laboratory (iv) Must have working computers. 	or equivalent from on. ssess Diploma in Sechnology from a ne year experience		40	
11			12			
By promotion after	adjustment	By promotion from Blood Transfusion Assistant with five years regular				
of surplus and abso			de in Ordnance Facto			
which by direct rec		Persons with quali				
	12					

Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee:

Not applicable

- (a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-incharge of Hospital;
- (b) Additional General Manager/Jt. General Manager (Administration).
- (c) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer.

2363 GI/05-9

Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee:

14 Not applicable

(a) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-incharge of Hospital;

13

- (b) Additional General Manager/Jt. General Manager (Administration)
- (c) Principal Medical Officer/Senior Medical Officer

#1	
11	12
By direct recruitment	By direct recruitment

Desirable: One year experience as Blood Transfusion Assistant in a Hospital or equivalent qualification for ex-servicemen.

1:	3			14	
Not appl	icable	= 11 1		Not applicable	
				2	
1	2	3	4	5	6
Ambulance Driver (Grade-I)	42*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,500-125 7,000	Selection-cum seniority	No
7		8	9	10	
Not applicable	·	Not applicable	No	Not a	oplicable
Тотарисает		·			
11			12		
By promotion	only	By promotion from service in the graph passing trade test	de in Ordnance Facto	Grade-II with five yeary Organisation. By a	ars regular ibsorption on
*				14	
	13	ntal Promotion Committe		Not applicable	
(b) Chief Medi charge of F		al Medical Officer-in-			
1	- 2	3	4	5	6
5. Ambulance Driver (Grade-II)	*Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'C', Non-Ministerial	Rs. 4,000-100- 6,000	Selection-cum seniority	No
7		8	49	10	
Not applicabl	Δ	Not applicable	No		pplicable
тот аррисаот		ποταρμισασίο			
	* = -		12		
. 11.				r (Ordinary Grade) wi	

13 14 Not applicable Composition of Group 'C' Departmental Promotion Committee: (a) Additional General Manager/Jt. General Manager/ Deputy General Manager (Engineering) (b) Chief Medical Officer/Principal Medical Officer-incharge (c) Deputy General Manager/Works Manager. 6 2 Rs. 3,050-75-Selection 120 *(2004) Civilians in No 16. Ambulance 3,950-80-4,590 by suitability *Subject to Defence Services, Driver (Ordinary variation Non-Industrial. Group 'C', Grade) dependent on workload. Non-Ministerial 7 8 **Essential:** No Two years. Not exceeding 27 years. (Relaxable upto 40 years in (i) Passed Matriculation or equivalent examination. case of Govt. servants) (ii) Must possess driving licence. (iii) Knowledge of maintenance and minor repairs (iv) Preliminary knowledge of Firstaid. Desirable: 3 years experience of driving light/ heavy vehicles. 12 11 By direct recruitment. By direct recruitment 14 13 Not applicable Not applicable. 5 6 Rs. 2.610-60-Selection-cum 369 *(2004) Civilians in No 17. Medical 3,150-65-3,540 seniority **Assistant** *Subject to Defence Services, variation Non-Industrial, Group 'D', dependent on Non-Ministerial workload. 7 8 10 No Two years. Not exceeding 27 years. Non-Ex-service Persons (i) Passed 10 + 2 or equivalent (Relaxable upto 40 years in case of Govt. servants) examination. 2363GI 05-10

		8	9	10	
	(i (i E V tl q D	i) Undergone a course of Instructions in First-aid fro recognised Institution/St. J Ambulance. ii) Knowledge of First-aid. v) Knowledge of Operation Theatre and sterilisation procedure. cx-service Persons: Vorked as Nursing Assistant the Armed Forces after passisualifying test of the Medical of Desirable: the liminary working knowled of computers.	m a John's t in ng Corps.	. 10	
	0	1 computers.			
11,			12		
	ter adjustment of sui iling which by direc		Factory Organisation	n two years regular on. By absorption o	service in the f persons with
	13			14	
(a) Chief Med of Hospita (b) Jt. Genera	al. al Manager/Deputy (al Medical Officer-in-Charge			
(a) Chief Med of Hospita (b) Jt. Genera Works M	lical Officer/Principa al. al Manager/Deputy (anager.	al Medical Officer-in-Charge			
(a) Chief Med of Hospita (b) Jt. Genera Works M	lical Officer/Principa al. al Manager/Deputy (anager.	al Medical Officer-in-Charge General Manager/	4	5	6
(a) Chief Medor of Hospital (b) Jt. General Works M. (c) Senior M.	dical Officer/Principalal. Al Manager/Deputy (al Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer.		5 Selection by suitability	6 No
(a) Chief Medof Hospita of Hospita (b) Jt. Genera Works M (c) Senior Model 1 8. Ward Sahayak	al. al Manager/Deputy Canager. edical Officer/Assist 2 155* (2004) *Subject to variation dependent on	al Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer. 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D',	4 Rs. 2,550-55-	Selection by suitability	
(a) Chief Medof Hospital (b) Jt. General Works M. (c) Senior M.	al. al Manager/Deputy (anager. edical Officer/Assist 2 155* (2004) *Subject to variation dependent on workload. 7 years. 40 years in vants)	al Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer. 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial 8 (i) Must pass Class 10 or equivalent examination of School. (ii) Knowledge of First-aid,	4 Rs. 2,550-55- 2,660-60-3,200	Selection by suitability	No
(a) Chief Medorf Hospital (b) Jt. General Works M. (c) Senior M. 1 8. Ward Sahayak 7 Not exceeding 2 Relaxable upto 4	al. al Manager/Deputy (anager. edical Officer/Assist 2 155* (2004) *Subject to variation dependent on workload. 7 years. 40 years in vants)	al Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer. 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial 8 (i) Must pass Class 10 or equivalent examination of School.	4 Rs. 2,550-55- 2,660-60-3,200	Selection by suitability	No
(a) Chief Medor of Hospital (b) Jt. General Works M. (c) Senior M. 1 8. Ward Sahayak 7 Not exceeding 2 Relaxable upto 4	al. al Manager/Deputy (anager. edical Officer/Assist 2 155* (2004) *Subject to variation dependent on workload. 7 years. 40 years in vants)	al Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer. 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial 8 (i) Must pass Class 10 or equivalent examination of School. (ii) Knowledge of First-aid,	4 Rs. 2,550-55- 2,660-60-3,200	Selection by suitability	No
(a) Chief Medor of Hospital (b) Jt. General Works M. (c) Senior M. 1. 8. Ward Sahayak 7. Not exceeding 2. Relaxable upto a case of Govt. sen	al. al Manager/Deputy (lanager. edical Officer/Assist 2 155* (2004) *Subject to variation dependent on workload. 7 years. 40 years in vants)	ant Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer. 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial 8 (i) Must pass Class 10 or equivalent examination of School. (ii) Knowledge of First-aid, Nursing and Ward proced	4 Rs. 2,550-55- 2,660-60-3,200 9 No	Selection by suitability Tw	No
(a) Chief Medor of Hospital (b) Jt. General Works M. (c) Senior M. 1. 18. Ward Sahayak 7. Not exceeding 2 (Relaxable upto a case of Govt. senior Govt. senior M. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	al. al Manager/Deputy (lanager. edical Officer/Assist 2 155* (2004) *Subject to variation dependent on workload. 7 years. 40 years in vants)	ant Medical Officer-in-Charge General Manager/ ant Medical Officer. 3 Civilians in Defence Services, Non-Industrial, Group 'D', Non-Ministerial 8 (i) Must pass Class 10 or equivalent examination of School. (ii) Knowledge of First-aid, Nursing and Ward proced	4 Rs. 2,550-55- 2,660-60-3,200 9 No	Selection by suitability Tw	No

NOTES BELOW SRO

- Note 1 : The number of posts indicated on Col. 2 in above schedule are all subject to variation dependent on work load.
- Note 2 : Save where otherwise indicated the age limits under Col. 7 are all relaxable for Government Servants, upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by Government of India.
- Note 3: Wherever the words 'adjustment of surplus' occurs in Col. 11 of this schedule it shall mean appointment in public interest by the Management, of persons already holding posts in the same or identical or nearly equivalent scale of pay in any factory or office or anywhere in the Ordnance Factories Organisation whom it is necessary to adjust in the posts in the exigencies of service consequent on the persons or the posts held by them being found surplus by the management.
- Note 4: Wherever the word 'absorption' occurs in Col. 11 or Col. 12 of this schedule it shall include transfer in public interest by the Management, of persons (already holding posts in the same or identical or nearly equivalent scale of pay) to posts in factories or offices in the same Station in the Ordnance Factories Organisation and also transfer within the same factory or office at the request of the persons concerned where agree d to by the Management. The transfer in public interest will also include filling of posts by transfer of persons holding posts from which there is no promotion to any other post or grade whether or not such posts are declared equivalent posts and such appointments by transfer may be made prior to filling of posts by direct recruitment.
- Note 5 : The term 'deputation' shall mean deputation for specified period in accordance with orders of the Government in force from time to time and in the exigencies of service, the Ordnance Factories Board or the General Manager of the Factory may, in the public interest, take suitable persons from outside the Ordnance Factories Organisation on deputation in any of the posts specified in the aforesaid schedule.
- Note 6: Wherever 'trade test' is laid down in Col. 12 of this schedule or anywhere else in these rules such trade test shall be prescribed by the General Manager of the Factory or the Ordnance Factories Board. The term 'trade test' will include written, oral and practical examination and aptitude test and interview and any other qualification test including physical standards test and statutory qualification test.
- Note 7: Wherever the words 'panel prepared by relevant Departmental Promotion Committee occurs in Col. 11 and recruitment is to be made by selection the words shall mean preparation of panel purely on the basis of merit, by reference to confidential reports and by reference to results of a trade test wherever such trade test is considered by the General Manager of the Factory or Ordnance Factories Board to be desirable in the interest of selection.
- Note 8 : Promotions indicated in Col. 12 of this schedule will normally be from feeders grade indicated in Col. 12. But where two or more feeder grades are declared to be 'allied grades' by the General Manager of the Factory or Ordnance Factories Board, selection for promotion will be made from common seniority list of eligible persons in the allied grades.
- Note 9 : The words 'equivalent post' and its variants in these rules will mean any post in the same or identical scale of pay as another post in the same or another name or designation and which posts the Ordnance Factories Board or General Manager of the Factory may declare as equivalent posts and they will be considered to be inter-changeable or stroke(/)appointments.
- Note 10: In relation to prescribed qualifications under Column 8 of this schedule the question whether a qualification is equivalent to the prescribed qualification for any post shall be decided by the Ordnance Factories Board.
- Note 11: For the purpose of these rules, the Ordnance Factories Board may authorise any Member of the Board or Additional Director General Ordnance Factories to exercise any or all its powers on its behalf and it shall be deemed to have been exercised by the said Board.
- Note 12: In these rules the term 'General Manager of the Factory' and its variants shall include Senior General Manager, Additional General Manager and Director of Staff College and heads of other establishments declared by Ordnance Factories Board to be equivalent to General Manager of Factories.
- Note 13: Wherever any age limit is laid down in Col. 7 of this schedule the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than from Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit, in each case will be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

- Note 14: Wherever any condition of a minimum service is laid down in Col. 12 of this schedule and a junior employee is considered for selection by virtue of his satisfying the said minimum service condition, all persons senior to him who have completed probation period shall also become eligible for consideration for selection notwithstanding that they may not satisfy the said minimum service condition.
- Note 15: within the total number of posts in the same scale of pay, addition to and reduction of posts under different designations and names on any scale of pay may be made by Ordnance Factories Board from time to time on the basis of changes in work load and functional requirements.
- Note 16: The incumbent of posts in this schedule are liable for service in the any factory or office in the Ordnance Factories Organisation on transfer depending upon the functional requirement and transfer policy guideline framed by the Ordnance Factory Board from time to time.

[F. No. 7(3)/2001/I/D(FY.I)]

RAJINDER SOOD, Under Secy.

Footnote: The Ordnance and Ordnance Equipment Factories Group 'C' and Group 'D' Non-Industrial Posts (Recruitment and Condition of Service) Rules, 1989 were published *vide* S.R.O. 14(E) dated 04-5-1989 and amended *vide* S.R.O. 149 dated 26-7-1991, S.R.O. 70 dated 04-5-1994, S.R.O. 155 dated 06-9-1994, S.R.O. 109 dated 26-6-1999 and S.R.O. 185 dated 12-10-1999.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2005

का.नि.आ. 89.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल आजाद सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, इलाहाबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फ. सं. 19/13/इलाहाबाद/सी/डीई/2001/2214/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दुदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2005

S.R.O. 89.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Allahabad by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. Azad Singh.

[F. No. 19/13/Allahabad/C/DE/2001/2214/D(Q&C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2005

का.नि.आ. 90.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की घारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्क्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, इलाहाबद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल ए.के. सिंह को छावनी बोर्ड, इलाहाबाद का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल आजाद सिंह के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फ. सं. 19/13/इलाहाबाद/सी/डीई/2001/2214/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर.एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2005

S.R.O. 90.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. A.K. Singh has been nominated as a member of the Cantonment Board, Allahabad by the Station Commander, Allahabad in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3) of Section 13 of that Act vice Col. Azad Singh whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/13/Allahabad/C/DE/2001/2214/D(Q&C)]

R.S. DUDANI, Under Secy.